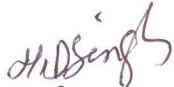


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला -
मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला - गैन मोटर मार्ग का
नव निर्माण ।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति
का शासनादेश की फोटोप्रति संलग्न है।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

नि. २/प्रति अध्यक्ष
टी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

टी० के० पन्त ,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 27 नवम्बर, 2006

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 04 (चार) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र सं०-2129/38(289) याता-पर्व/06 दि० 28.8.06 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये 04 कार्यों के रुपये 455.87 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 455.27 लाख (रुपये चार करोड़ पचपन लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रात्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू० 1.00 लाख (रू० एक लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं बिजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा0सं0-452/XXV11(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समित-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

Photo copy attached

श्री गुरुदेव
२४/॥१८
कृष्णार्जुन
स्वीकार्य
गोपबन्धुना
प्रोषणा कृतं
चतुर्था द्वा
मनी नेत्रविण
हे शम्भुकि
को अक्षित
सुखद ।
२४/॥१८

2071
28/11/06

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टैण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़क-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-1807/XXVII(2)/2006 दिनांक 23 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

सलगनक-04 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)

संयुक्त सचिव।

संख्या-3174 (1)/111-2/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी/चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी० के० पन्त)

संयुक्त सचिव।

Photo copy Attached

सहायक अभियन्ता (प्रथम)
अस्थायी रास्ता लो.नि.वि.
पौड़ी (चमोली)।

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1	मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पौड़ी गढ़वाल में पीपला-नगर-मिरचौडा-थैर-टेका मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण	10.50	203.87	203.87	0.25
2	सोनला-मैखुरा मोटर मार्ग से कांचूला-गैन मो० मार्ग का नव निर्माण ।	10.00	168.00	168.00	0.25
3	सिरोपणी से गंजेंड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।	2.00	33.60	33.60	0.25
4	गोगनापानी से भदोडा माटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	50.40	49.80	0.25
			455.87	455.27	1.00

(रुपये एक लाख मात्र)

(टी० वित्त) संयुक्त सचिव।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग

देहरादून

प्रसं० - 2071/2006-32 दि० 29.11.06

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु:-

1) मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो० नि० वि० पौड़ी।

2) अधीक्षण अभियन्ता सातवीं/ वारहवां वृत्त लो० नि० वि० गोपेश्वर/पौ

3) प्राविधिक/लेखा वर्ग।

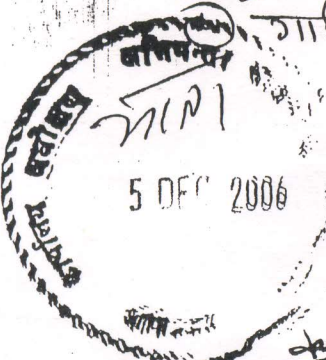
गाई पगवली।

कार्यालय

अधीक्षण अभियन्ता

7 वां वृत्त लो० नि० वि०

गोपेश्वर (चमोली)



प्रसं० 3236/2006-32 दि० 29.11.06

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु:-

1) मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो० नि० वि० पौड़ी।

2) अधीक्षण अभियन्ता सातवीं/ वारहवां वृत्त लो० नि० वि० गोपेश्वर/पौ

3) प्राविधिक/लेखा वर्ग।

गाई पगवली।

कार्यालय

अधीक्षण अभियन्ता

7 वां वृत्त लो० नि० वि०

गोपेश्वर (चमोली)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

प्रसं० 3236/2006-32 दि० 29.11.06

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु:-

1) मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र लो० नि० वि० पौड़ी।

2) अधीक्षण अभियन्ता सातवीं/ वारहवां वृत्त लो० नि० वि० गोपेश्वर/पौ

3) प्राविधिक/लेखा वर्ग।

गाई पगवली।

3236/BC

207-C-2006-07

सहायक अभियन्ता (प्रथम)
अस्थाई सड़क लो० नि० वि०
गौघर (चमोली)

अधीक्षण अभियन्ता
7 वां वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमोली)